झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक– खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019

प्रेषक,

डॉ० शांतनु कुमार अग्रहरि, **भा०प्र०से०,**
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद।

सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
झारखण्ड।

/राँची, दिनांक

विषय :– जन वितरण प्रणाली लाभुकों को OTP में Fix Standard Digit के माध्यम से राशन वितरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में वर्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकानों से ई–पॉस मशीन का इस्तेमाल करते हुए राशन वितरण किया जा रहा है।

निदेशानुसार राज्य में COVID-19 को लेकर आम नागरिकों को बचाने के लिए तथा COVID-19 के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि 31 मई, 2021 तक सभी Online Mode में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों से बॉयोमेट्रीक सत्यापन के बगैर (बिना अँगूठे के निशान एवं आँख की पुतली के) राशन का वितरण लाभुकों के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से किया जाय।

2. उक्त के क्रम में OTP के माध्यम से राशन वितरण में दिनांक 31 मई, 2021 तक निम्नवत् परिवर्तन किए जाते हैं :–

(i) राशनकार्डधारी का राशनकार्ड नम्बर ई–पॉश में डालने के पश्चात् OTP हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा एक Fix Standard Digit 12345 अंकित किया जायेगा।

(ii) सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार, लाभुकों को राशन वितरण करने के पश्चात् उक्त लेन देन की विवरणी को अपने दुकान में पूर्व से उपलब्ध अपवाद पंजी में संधारित करेंगे तथा सभी संबंधित लाभुकों से हस्ताक्षरित करा लेंगे।

(iii) सभी जिलों द्वारा यह सूनिश्चित किया जाएगा कि उक्त अपवाद पंजी से संधारित खाद्यान्न वितरण का मिलान आहार पोर्टल से वितरण की तिथि से तीन दिनों के अंदर कर लिया जाए।

(iv) अगर किसी जन वितरण प्रणाली दूकान से किसी कारणवश किसी भी लाभूक को खाद्यान्न ई–पॉश में OTP के माध्यम से न वितरित कर केवल अपवाद पंजी के माध्यम से वितरित किया जाता है तो संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी की निजी जिम्मेवारी होगी कि उक्त अपवाद पंजी के वितरण को हरहाल में वितरण की तिथि से तीन दिनों के अंदर आहार पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए ताकि इसकी इंट्री अन्न वितरण पोर्टल पर ससमय किया जा सके। इसकी निगरानी का दायित्व

निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची की होगी। अगर किसी कारणवश अपवाद पंजी से वितरित होने वाले खाद्यान्न का अपलोड आहार पोर्टल पर ससमय नहीं किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची की होगी।

3. COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को अपने पास साबुन–पानी/हैण्डवॉश/हैण्ड सेनेटाईजर (जो सुलभ हो) आदि रखते हुए समुचित निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया जाए। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से कोई राशि नहीं दी जायेगी।

4. उपर्युक्त निदेशित की गयी व्यवस्था दिनांक 31 मई, 2021 तक चालू रहेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(डॉ० शांतनु कुमार अग्रहरि),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक – खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक – खा० प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–04/2019 1257 **/राँची, दिनांक–** 24/04/2021

प्रतिलिपि :–सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी, झारखण्ड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।